

एम. जैन

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, एवं अजय कुमार मित्तल, के समक्ष

**आयकर आयुक्त,
चंडीगढ़, अपीलकर्ता**

बनाम

श्रीमती अंजना सहगल, प्रतिवादी

2004 की आयकर अपील संख्या 276

1 मार्च, 2011

आयकर अधिनियम, 1961 – धारा 2(14), 2(14) (एच i) (ए) और (बी) और 260ए-निर्धारिती द्वारा कृषि भूमि जिस पर धारा 2(14) के तहत पूंजीगत संपत्ति के रूप में कर लगाया जाना चाहिए "- नगरपालिका सीमा के 8 किमी के भीतर स्थित भूमि और अधिसूचना द्वारा कवर की गई- अपील पर सीआईटी (ए) ने पंजाब में स्थित भूमि को हटाया, हरियाणा में नहीं और नगरपालिका सीमा से निर्दिष्ट दूरी का कोई परिणाम नहीं था।

राज्य की एक इकाई के रूप में नगरपालिका की अवधारणा या तथ्य यह है कि राज्य के पास अपने क्षेत्र से परे कानून बनाने के लिए कोई न्यायिक अधिकार नहीं है, अपने क्षेत्र से परे कानून का निर्धारण करने के उद्देश्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है, यह निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है कि क्या भूमि थी पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के उद्देश्य से "पूंजीगत परिसंपत्ति" या नहीं। यदि भूमि नगरपालिका से सटी हुई है और धारा 2(14) के अंतर्गत शहरी भूमि है तो भूमि शहरी भूमि बनी रहेगी, भले ही नगरपालिका और भूमि विभिन्न राज्यों में पड़े। ऐसी भूमि को "पूंजीगत परिसंपत्ति" की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह वैधानिक योजना के खिलाफ होगा। अपील एलोड।

(8 परोसता है)

उर्वशी धुग्गा, अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील।

राधिका सूरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

आदर्श कुमार गोयल, जे (मौखिक)

(1) यह आदेश 2004 के आईटीए संख्या 276, 2005 के 54 और 2009 के 448 का निपटान करेगा क्योंकि राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा कहा गया है कि इन अपीलों में शामिल तथ्य और कानून आम हैं। हालांकि, तथ्य या 2004 के आईटीए नंबर 276 से लिया गया।

(2) 2004 की आईटीए संख्या 276 आयकर अधिनियम, 1961 (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 260A के तहत राजस्व द्वारा पसंद किया गया है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच 'बी', चंडीगढ़ द्वारा आईटीए संख्या 135/चंडी/2001 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 2004 के खिलाफ, मूल्यांकन वर्ष 1997-98 के लिए, कानून के पर्याप्त प्रश्नों का दावा: -

"(i) क्या आईटीए कानून में सही था कि विवादित कृषि भूमि आयकर अधिनियम की धारा 2 (14) के तहत परिभाषित "पूंजीगत संपत्ति" की परिभाषा के भीतर नहीं आती है क्योंकि विचाराधीन भूमि पंजाब राज्य में स्थित है और राजपुरा की नगरपालिका सीमा के 8 किलोमीटर से अधिक है, भले ही आक्षेपित भूमि भी नगरपालिकासीमा के 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हो (ग) क्या सरकार पंचकुला जिला अम्बाला (हरियाणा) में स्थित है?"

(ii) क्या आयकर अधिनियम की धारा 2 (14) (iii) (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "किसी भी नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं से" "जिले की किसी भी नगर पालिका या नगर पालिका को दर्शाती है जिसमें भूमि स्थित है?"

(3) निर्धारिती ने कृषि भूमि बेची और पूंजीगत लाभ के लिए इस आधार पर कर लगाने की मांग की गई कि विचाराधीन कृषि भूमि अधिनियम की धारा 2(14) के तहत पूंजीगत संपत्ति की परिभाषा द्वारा कवर की गई थी। यह भूमि पंचकुला की नगरपालिका सीमा के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित थी और इस प्रकार धारा 2 (14) (iii) (बी) के तहत 6 जनवरी, 1994 की अधिसूचना द्वारा कवर की गई थी। अपील पर, सीआईटी (ए) को हटा दिया गया

इसके अलावा यह मानते हुए कि प्रश्नगत भूमि पंजाब राज्य में थी जबकि पंचकुला नगरपालिका हरियाणा राज्य में थी और यदि भूमि हरियाणा राज्य में नगरपालिका की विनिदष्ट दूरी के भीतर थी तो भी उसे पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जा सकता था जब भूमि उस राज्य में नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने उक्त दृष्टिकोण को सही ठहराया।

(4) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(5) राजस्व के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि भूमि के उद्देश्य के लिए परिभाषा कृषि भूमि में शामिल की जा रही है या अन्यथा और इस प्रकार पूंजीगत संपत्ति है या अन्यथा इस बात पर विचार किया गया है कि क्या भूमि का स्थान नगरपालिका के भीतर है या नगरपालिका की अपेक्षित दूरी के भीतर है ताकि शहरी भूमि को पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जाए और उसे उससे बाहर नहीं रखा जाए। वर्तमान मामले में, भूमि पंजाब राज्य के भीतर आती है और एक निर्दिष्ट नगरपालिका से अपेक्षित दूरी के भीतर है। भले ही ऐसी नगरपालिका पंजाब राज्य से बाहर हो, फिर भी भूमि शहरी है। कोई अन्य व्याख्या

प्रावधानों के उद्देश्य को पराजित करेगी।

(6) दूसरी ओर निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि भूमि किसी अन्य राज्य की निर्दिष्ट नगरपालिका से अपेक्षित दूरी के भीतर थी, तो उसे तब तक कवर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य की नगरपालिका से अपेक्षित दूरी के भीतर या भीतर न हो। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 243Q के तहत प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं का गठन किया जाना है और इस प्रकार राज्य विशिष्ट नगरपालिका की अवधारणा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पंचकूला की नगरपालिका का गठन 25 जनवरी, 2001 को किया गया था और संबंधित वर्ष के लिए यह अधिसूचित क्षेत्र समिति थी जो धारा 2 (14) (iii) (ए) के तहत नगरपालिका के बराबर है। अधिनियम में धारा 2 (14) (iii) (बी) की व्याख्या करते हुए वित्त मंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि 'ऐसी नगरपालिका' शब्द धारा 2 (14) (iii) के खंड (ए) में पाए जाने वाले अभिव्यक्ति 'नगरपालिका' को संदर्भित करता है, यह माना जाता है कि नगरपालिका को राज्य विशिष्ट होना चाहिए। यदि अभिव्यक्ति 'ऐसे' को नजरअंदाज किया जाना है, तो यह स्थापित सिद्धांत के खिलाफ होगा कि किसी भी शब्द को अनावश्यक या अनावश्यक नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि **जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम कासी नायकर और अन्य (3)** में आयोजित किया गया है। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; _____

- (1) एआईआर 1964 एससी 1170
- (2) एआईआर 2002 एससी 3240
- (3) एआईआर 2003 एससी 4156

(7) विवाद को समझाने के लिए अधिनियम की धारा 2(14) के संगत उपबंधों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा -

"2 (14) "पूंजीगत संपत्ति" का अर्थ है किसी गधे द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह अपने व्यवसाय या पेशे से जुड़ा हो या नहीं, लेकिन डॉक्स में शामिल नहीं हैं-

(i) XX XX XX XX

(ii) XX XX XX XX

(iii) भारत में कृषि यूराल भूमि, भूमि स्थित नहीं है-

- (a) किसी भी क्षेत्र में जो एक नगर पालिका के जे के भीतर शामिल है (चाहे एक नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर समिति, या किसी अन्य एनएएम ई के रूप में जाना जाता है) या एक छावनी बोर्ड और जिसकी आबादी है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से कम नहीं है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े पिछले वर्ष के पहले दिन

से पहले प्रकाशित किए गए हैं; या

- (b) ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक नहीं, जैसा कि केंद्र सरकार कर सकती है, उस क्षेत्र के शहरीकरण की सीमा और गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए, और अन्य प्रासंगिक विचार, इस संबंध में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट

राजपत्र"।

(चतु ^{२६} XX	xx	XX	XX
(v) xx	XX	XX	XX
(vi) XX	XX	XX	XX

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 1994 को जारी की गई अधिसूचना निम्नानुसार है -

"अब, इसलिए, खंड (ii) के खंड (ii) के मद (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (1 ए) के उपखंड (सी) और आइटम (बी) यदि उप-खंड

(iii) और पूर्ववर्ती वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) सं 2 में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (14) के उपक्रमण में संशोधन करने के लिए अधिसूचना सं 10/2006-स्था (2) में संशोधन करने वाला काआ 1099 एसओ77(ई) दिनांक 6 मार्च। (ग) संबंधित क्षेत्रों के शहरीकरण की सीमा और संभावना तथा अन्य संगत विचारों को ध्यान में रखते हुए, यहां अनुसूची के कॉलम (4) में दर्शाए गए क्षेत्रों को विनिर्देशों द्वारा और नगर पालिका या छावनी बोर्डों की स्थानीय सीमाओं से बाहर दर्शाया गया है, जैसा भी मामला हो, उसके कॉलम (3) में तदनुसूची प्रविष्टि में और राज्य या संघ राज्य के विरुद्ध दर्शाया जा सकता है। आयकर अधिनियम,

क्र.सं. का नाम। राज्य या संघ क्षेत्र	नगर पालिका का नाम क्षेत्रों या छावनी बोर्ड के आने का विवरण (क) के राज्य/संघ सीमाओं में पड़ने वाले क्षेत्र	बाहर	राज्य क्षेत्र की स्थानीय नगर पालिका के तहत
1	2	3	4
9. हरियाणा	44. पंचकुआला (जिला) (ख) क्या है; औरसे	दूरी तक के क्षेत्र यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सभी दिशाओं में नगरपालिका सीमाएं	
XX	XX XXX XXX		XXX

1	2	3	4
18. पंजाब		35. राजपुरा	भीतर पड़ने वाले क्षेत्र- (i) राजपुरा-सरहिंद रोड के दोनों ओर उस सड़क पर नगरपालिका सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक 1 किमी। (ii) राजपुरा-बनौर रोड के दोनों ओर उस सड़क पर नगरपालिका सीमा से किमी की दूरी तक 1 किमी। (iii) राजपुरा-अंबाला रोड के दोनों ओर उस सड़क पर नगरपालिका सीमा से 4 किलोमीटर की दूरी तक 1 किमी। (iv) राजपुरा-घनौर रोड के दोनों ओर उस सड़क पर नगरपालिका सीमा से 4 किलोमीटर के एक जिले तक 1 किमी। (v) दोनों पर 1 किमी
(8) उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीगत			

परिसंपत्ति' शब्द में जिसे शामिल करने का इरादा है, वह नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर और नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों की स्थानीय सीमाओं से निर्दिष्ट दूरी के भीतर शामिल कृषि भूमि है जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट है। यह निर्विवाद है कि विचाराधीन भूमि पंचकुला नगरपालिका से निर्दिष्ट दूरी के भीतर है जो हरियाणा राज्य में आती है जबकि भूमि पंजाब राज्य में है। इस प्रकार, धारा 29(14) के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा के प्रयोजन के लिए भूमि शहरी भूमि है। राज्य की एक इकाई के रूप में नगरपालिका की अवधारणा या तथ्य यह है कि किसी राज्य के पास अपने क्षेत्र से परे कानून बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं है कि क्या विशेष भूमि पूंजी पर कर लगाने के उद्देश्य से 'पूंजीगत संपत्ति' थी या नहीं। यदि भूमि नगरपालिका से सटी हुई है और धारा 2(14) के अंतर्गत आच्छादित शहरी भूमि है तो चाहे नगरपालिका और भूमि विभिन्न राज्यों में आती हो, भूमि शहरी भूमि ही रहेगी। यदि ऐसी भूमि को 'पूंजी संपत्ति' की परिभाषा से बाहर रखा जाता है, तो वैधानिक योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा।

(9) निर्णय यह प्रस्तुत करने के लिए निर्भर थे कि एक कानून के सभी शब्दों को सौंपा जाना चाहिए जिसका अर्थ निर्धारिती के विवाद का समर्थन नहीं करता है, जिसमें 'पूंजीगत संपत्ति' में विवादित भूमि भी शामिल है, परिभाषा में किसी भी शब्द को अनदेखा नहीं करता है जैसा कि विद्वान वकील द्वारा ग्रहण किया गया है। वित्त मंत्री के भाषण से भी निर्धारिती को कोई मदद नहीं मिलती है। उसका संगत उद्धरण निम्नानुसार है -

"उप-खंड (ए) आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (14) में संशोधन करना चाहता है जो "पूंजीगत संपत्ति" शब्द को परिभाषित करता है। संशोधन किसी भी नगरपालिका (चाहे नगर पालिका, नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) या पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 या उससे अधिक की आबादी वाले छावनी बोर्ड की

सीमा के भीतर स्थित "पूंजीगत संपत्ति" शब्द के भीतर कृषि भूमि का उपयोग करना चाहता है, जिसके लिए आंकड़े पिछले वर्ष के पहले दिन से पहले प्रकाशित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी नगरपालिकाओं अथवा छावनी बोर्डों की स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर से अनधिक दूरी के भीतर स्थित कृषि भूमि को भी पूंजीगत परिसंपत्ति, यदि ऐसे क्षेत्र हैं, उनके शहरीकरण की सीमा और गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए संशोधित परिभाषा के अंतर्गत कवर किया जाएगा

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संगत विचारों और अन्य संगत विचारों के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव यह होगा कि नगरपालिका या अन्य शहरी क्षेत्रों या अधिसूचित निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजीगत लाभ निर्धारण वर्ष 1970-71 और बाद के वर्षों के लिए आयकर के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त भाषण किसी अन्य व्याख्या की ओर ले जाता है। तदनुसार, हम राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

(11) तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।

(12) इस आदेश की एक फोटोकॉपी प्रत्येक जुड़े मामले की फाइल पर रखी जाए।

एम. जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा